

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1205

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री ओमप्रकाश (लिंक नम्बर 4695), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण पंचायत समिति, घड़साना, श्रीगंगानगर से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), श्रीगंगानगर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री ओमप्रकाश द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री ओमप्रकाश को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 को मध्याह्न पूर्व एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री ओमप्रकाश नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री ओमप्रकाश को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1205

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घड़साना, श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), श्रीगंगानगर।
3. श्री ओमप्रकाश, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- पंचायत समिति, घड़साना, श्रीगंगानगर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1206

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रविन्द्र कुमार गोयल (लिंक नम्बर 1427), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण पंचायत समिति, पदमपुर, श्रीगंगानगर से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गोयल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री गोयल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री गोयल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री गोयल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री गोयल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1206

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पदमपुर, श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर।
3. श्री रविन्द्र कुमार गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- पंचायत समिति, पदमपुर, श्रीगंगानगर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1207

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रामचरण आमेरिया (लिंग नम्बर 811), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण जिला परिवहन अधिकारी, झालावाड से उपकोषाधिकारी, झालरापाटन, झालावाड किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री आमेरिया द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री आमेरिया को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री आमेरिया को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री आमेरिया नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री आमेरिया को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

  
(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1207

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिला परिवहन अधिकारी, झालावाड को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. कोषाधिकारी, झालावाड।
3. श्री रामचरण आमेरिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- जिला परिवहन अधिकारी, झालावाड।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
(अरविन्द धानराज)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1208

दिनांक- 08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री बन्नाराम मेघवाल (लिंक नम्बर 4119), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर से कमाण्डेन्ट, आरएसी, बटालियन प्रथम, जोधपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मेघवाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री मेघवाल को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री मेघवाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मेघवाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री मेघवाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1208

दिनांक- 08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. कमाण्डेन्ट, आरएसी, बटालियन प्रथम, जोधपुर।
3. श्री बन्नाराम मेघवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1209

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सत्यनारायण डूडी (लिंक नम्बर 5926), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (परिवार कल्याण), नागौर से प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, नागौर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री डूडी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री डूडी को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री डूडी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री डूडी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री डूडी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1209

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (परिवार कल्याण), नागौर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, नागौर।
3. श्री सत्यनारायण डूडी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (परिवार कल्याण), नागौर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1210

दिनांक- 08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री शिवदयाल मीणा (लिंक नम्बर 5435), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर से पंचायत समिति, झल्लारा, उदयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मीणा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री मीणा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मीणा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री मीणा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1210

दिनांक- 08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झल्लारा, उदयपुर।
3. श्री शिवदयाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1211

दिनांक- 08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रामावतार मंगल (लिंक नम्बर 796), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण पंचायत समिति, सवाई माधोपुर से पंचायत समिति, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मंगल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री मंगल को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री मंगल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मंगल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री मंगल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1211

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर।
3. श्री रामावतार मंगल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- पंचायत समिति, सवाई माधोपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1212

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रामकेश मीणा (लिक नम्बर 2345), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण पंचायत समिति, अन्ता, बारां से उपकोषालय, अन्ता, बारां किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मीणा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री मीणा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मीणा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री मीणा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1212

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अन्ता, बारां को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. कोषाधिकारी, बारां।
3. श्री रामकेश मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- पंचायत समिति, अन्ता, बारां।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1213

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री तरुण कुमार जैन (लिंक नम्बर 6062), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी से राजकीय यूजी कॉलेज (छात्रा), बून्दी किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जैन द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री जैन को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री जैन को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 को मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री जैन नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री जैन को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

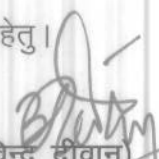
  
(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1213

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. राजकीय यूजी कॉलेज (छात्रा), बून्दी।
3. श्री तरुण कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(अरविन्द धानु)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1214

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री केदारमल हेडा (लिंग नम्बर 8538), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बिजौलिया, भीलवाड़ा से निरीक्षण विभाग, भौतिक सत्यापन दल, भीलवाड़ा किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हेडा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री हेडा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री हेडा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 को मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री हेडा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री हेडा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1214

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बिजौलिया, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. निरीक्षण विभाग, भौतिक सत्यापन दल, भीलवाड़ा।
3. श्री केदारमल हेडा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-पंचायत समिति, बिजौलिया, भीलवाड़ा।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

कमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1215

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह मेहता (लिंक नम्बर 8736), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, भीलवाड़ा से उपकोषाधिकारी, शाहपुरा, भीलवाड़ा किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मेहता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री मेहता को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री मेहता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 को मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मेहता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री मेहता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावे अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

कमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1215

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
3. श्री वीरेन्द्र सिंह मेहता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, भीलवाड़ा।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1216

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री कमल कुमार जैन (लिंक नम्बर 1319), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, उनियारा, मुख्यालय अलीगढ़, टोंक से राजकीय यूजी महाविद्यालय (छात्र), देवली, टोंक किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जैन द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री जैन को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री जैन को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 को मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री जैन नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री जैन को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1216

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, उनियारा, मुख्यालय अलीगढ़, टोंक को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. राजकीय यूजी महाविद्यालय (छात्र), देवली, टोंक।
3. श्री कमल कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय-पंचायत समिति, उनियारा, मुख्यालय अलीगढ़, टोंक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1217

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री ओम प्रकाश मूंदडा (लिंग नम्बर 5314), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मूंदडा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री मूंदडा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री मूंदडा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 को मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मूंदडा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री मूंदडा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावे अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

  
(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1217

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा।
3. श्री ओम प्रकाश मूंदडा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(अरविन्द धान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1218

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री हंसराज मीणा (लिंक नम्बर 4421), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण राजकीय यूजी महाविद्यालय (छात्र), देवली, टोंक से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, उनियारा, मुख्यालय अलीगढ़, टोंक किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मीणा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री मीणा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 को मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मीणा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री मीणा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

  
(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1218

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है-

1. राजकीय यूजी महाविद्यालय (छात्र), देवली, टोंक को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, उनियारा, मुख्यालय अलीगढ़, टोंक।
3. श्री हंसराज मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- राजकीय यूजी महाविद्यालय (छात्र), देवली, टोंक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1219

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री राजेश्वर शर्मा (लिंक नम्बर 915), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण राजकीय यूजी महाविद्यालय (छात्रा), बून्दी से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तालेड़ा, बून्दी किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री शर्मा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

  
(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1219

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. राजकीय यूजी महाविद्यालय (छात्रा), बून्दी को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तालेड़ा, बून्दी।
3. श्री राजेश्वर शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- राजकीय यूजी महाविद्यालय (छात्रा), बून्दी।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(अरविन्द धानराज)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1220

दिनांक- 08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रविन्द्र कुमार कोठारी (लिंक नम्बर 1394), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण प्राचार्य, सेठ मुरलीधर राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्रा), भीलवाड़ा से कोषाधिकारी, भीलवाड़ा किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कोठारी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री कोठारी को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री कोठारी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री कोठारी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री कोठारी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1220

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्राचार्य, सेठ मुरलीधर राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्रा), भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
3. श्री रविन्द्र कुमार कोठारी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- प्राचार्य, सेठ मुरलीधर राजकीय पीजी महाविद्यालय (छात्रा), भीलवाड़ा।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1221

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री अशोक कुमार जैन (लिंक नम्बर 4654), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण डिपो मैनेजर, राजस्थान राज्य बेवेरेज निगम लिमिटेड, टोंक से प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, निवाई, टोंक किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जैन द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री जैन को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री जैन को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री जैन नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री जैन को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/ 1221

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. डिपो मैनेजर, राजस्थान राज्य बेवेरेज निगम लिमिटेड, टोंक को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, निवाई, टोंक।
3. श्री अशोक कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- डिपो मैनेजर, राजस्थान राज्य बेवेरेज निगम लिमिटेड, टोंक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1222

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री यशपाल मेहन्दीरता (लिंग नम्बर 2885), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण उपकोषालय, कोलायत, बीकानेर से संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, बीकानेर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मेहन्दीरता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री मेहन्दीरता को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री मेहन्दीरता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 को मध्याह्न पूर्व एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मेहन्दीरता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री मेहन्दीरता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1222

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है-

1. कोषाधिकारी, बीकानेर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, बीकानेर।
3. श्री यशपाल मेहन्दीरता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- उपकोषालय, कोलायत, बीकानेर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1223

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री कजोड़मल गोयल (लिंक नम्बर 1317), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बौली (सवाई माधोपुर) से राजकीय यूजी महाविद्यालय (छात्रा), सवाई माधोपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गोयल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री गोयल को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री गोयल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 को मध्याह्न पूर्व एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री गोयल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री गोयल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1223

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बौली (सवाई माधोपुर) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. राजकीय यूजी महाविद्यालय (छात्रा), सवाई माधोपुर।
3. श्री कजोड़मल गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय-पंचायत समिति, बौली (सवाई माधोपुर)।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1224

दिनांक- 08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री ओमप्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण जिला परिवहन अधिकारी, राजसमन्द से उपकोषालय, नाथद्वारा, राजसमन्द किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गुप्ता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री गुप्ता को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री गुप्ता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 को मध्याह्न पूर्व एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1224

दिनांक- 08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट) कार्यालय हाजा।
2. जिला परिवहन अधिकारी, राजसमन्द को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
3. कोषाधिकारी, राजसमन्द।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री ओमप्रकाश गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय- जिला परिवहन अधिकारी, राजसमन्द।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1225

दिनांक-08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री लक्ष्मणराम विश्नोई, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, फलौदी (जोधपुर) से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विश्नोई द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री विश्नोई को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री विश्नोई को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 को मध्याह्न पूर्व एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री विश्नोई नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री विश्नोई को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1225

दिनांक-08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, फलौदी (जोधपुर) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. श्री विजय प्रकाश जोशी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-पंचायत समिति, फलौदी (जोधपुर)।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1226

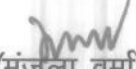
दिनांक- 08/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मंशाराम मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिमलवाड़ा (डूंगरपुर) से उपकोषालय, सिमलवाड़ा (डूंगरपुर) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मीणा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री मीणा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 को मध्याह्न पूर्व एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मीणा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

उक्त के अतिरिक्त श्री मीणा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

  
(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2017-18/1226

दिनांक- 08/02/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिमलवाड़ा (डूंगरपुर) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. कोषाधिकारी, डूंगरपुर।
3. श्री विजय प्रकाश जोशी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय-पंचायत समिति, सिमलवाड़ा (डूंगरपुर)।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-I)